भाग-III

हरियाणा सरकार

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2015

संख्या सा0का0नि 17/संवि0/अनु0309/2015.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, परिमण्डल संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1989 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, परिमण्डल संवर्ग (ग्रुप—ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, परिमण्डल संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1989, में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 7 के सामने, खाना 4 के नीचे, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण:— दिनांक 8 नवम्बर, 2013 से पहले भर्ती हुए ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति की दशा में अपेक्षित अहर्ता मैट्रिक होगी।"।

आलोक निगम,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।